रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2014/वैशाख 16, 1936
No. 243] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2014/VAISAKHA 16, 1936

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2014

सा.का.नि. 315(अ).—केन्द्रीय सरकार, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (क) से खंड (घ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग नियम, 2006 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के खंड (चक) में, "संशोधित" शब्द के स्थान पर, "उपाबद्ध" शब्द रखा जाएगा ।

3. उक्त नियम के उप नियम 3क में,

(i) "किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह" शब्दों के स्थान पर, "कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र होगा यदि वह" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में "नहीं" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ख) में "स्नातकोत्तर की डिग्री नहीं" शब्द के स्थान पर, "स्नातक की डिग्री" शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियम की अनुसूची 4 में,

(i) "IV" अंक के स्थान पर, '4' अंक रखा जाएगा ;

(ii) "धारा" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है "क्रम संख्या" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) "अनुदेश" शीर्ष के अधीन, मद (क) में "1-15" अंकों के स्थान पर, "1-14" अंक रखे जाएंगे;

(iv) क्रम सं. 15 को क्रम सं. 14 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित क्रम सं. 14 में मद (घ) का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. 3-30/2013-सीडब्ल्यू-I]

विवेक जोशी, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम सं. सा.का.नि. 450(अ) तारीख 31 जुलाई, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 517(अ) तारीख 29 जून, 2012 और सा.का.नि. 207(अ) तारीख 24 मार्च, 2014 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2014

G.S.R. 315 (E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1), read with clauses (a) to (d) of sub-section (2) of section 35 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Commission for Protection of Child Rights Rules, 2006, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Commission for Protection of Child Rights (Second Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Commission for Protection of Child Rights Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in clause (fa), for the word “amended”, the word “appended” shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 3A,-

(i) for the words “A person shall not be selected as Chairperson or Member, unless he”, the words “A person shall be eligible to be selected as Chairperson or Member, if he” shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words “post graduate”, the word “graduate” shall be substituted.

4. In Schedule IV to the said rules,-

(i) for the word “Sections” wherever it occurs, the words “serial numbers” shall be substituted;

(ii) under the heading “Instructions”, in item (a), for the figures “1-15”, the figures “1-14” shall be substituted;

(iii) serial number 14 shall be renumbered as serial number 13;

(iv) serial number 15 shall be renumbered as serial number 14 and in serial number 14 as so renumbered, item (d) shall be omitted.

[F.No. 3-30/2013-CW-I]

VIVEK JOSHI, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published vide number G.S.R. 450(E), dated the 31st July, 2006 and subsequently amended vide number G.S.R. 517(E), dated the 29th June, 2012 and number G.S.R. 207(E), dated the 24th March, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054